संख्या-43/2021/910/22-2-2020-17(40)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध आजीवन कारावास सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार उर्फ लल्लन पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24567/प्रोवेशन-6/147/26 जनवरी 2020 दिनांक 05-10-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार उर्फ लल्लन पुत्र श्री राम प्रसाद, जो समहन, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज का रहने वाला है। दिनांक 09.02.2003 को जमीनी रंजिश में अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर संजइया पर गोली चला दी, जिससे उसकी की मृत्यु हो गयी, घटना का कारण जमीनी विवाद था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-573/03 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एस0टी0सी0 कोर्ट संख्या-23, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 16 वर्ष 11 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 11 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी जांच में उल्लेख किया है कि बंदी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके अपराध से आम जनमानस में व आस-पड़ोस में भय व आतंक का माहौल है। यदि बन्दी को किसी प्रकार की प्रशासनिक राहत मिलती है तो उसके दुरूपयोग होने एवं जेल से छूटने पर पीड़ित परिजनों को जानमाल का खतरा होने तथा किसी अप्रिय घटना की प्रबल संभावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज की आख्या के अनुसार सिद्धदोष बंदी अपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण यदि इसे किसी प्रकार की प्रशासनिक राहत मिलती है, तो उसके दुरूपयोग होने एवं जेल से छूटने पर पीडित परिजनों की जान माल का खतरा होने की प्रबल सम्भावना के आधार पर किये गये विरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी अशोक कुमार उर्फ लल्लन पुत्र श्री राम प्रसाद को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अशोक कुमार उर्फ लल्लन (बन्दी संख्या-3929/06) पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-प्रयागराज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2021/910(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in